

N.D.H.: 08.12.2025

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 8 to 11 with affidavit	1 – 6
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> A true copy of the NOC from Addl. District Magistrate, Meerut dated 20.04.2023	7 – 8
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> a true copy of the NOC obtained from Nagar Nigam Meerut dated 19.05.2023	9
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> A true copy of the order passed in the Civil Suit No. 643 of 2024 by Civil Judge, Junior Division Meerut dated 10.09.2024	10 – 11
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> A true copy of the case status of Writ C No. 37092 of 2025 filed before the High Court Judicature at Allahabad dated NIL	12
6.	<u>ANNEXURE R-5</u> A true copy of the order passed by the High Court Judicature at Allahabad in Writ C No. 37092 of 2025 dated 29.10.2025	13 – 14

Place: New Delhi

Date: 03.12.2025

Filed by:-



(GAURAV AGARWAL)

Advocate for Respondent No.8 to 11
M/s RS Developers,
Suraj Yadav, Rajeev and Rajkiran

GRV LEGAL
Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City,
VaibhavKhand, Indirapuram,
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014
Mob.:8802911392,
Email.: gaurav@grvlegal.in

**BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF :

DUSHYANT ROHTA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. AND ANOTHER ...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 8 TO 11

1. That the instant Original Application is filed by the Applicant alleging encroachment on the land of water body. It is further alleged that the Krishna World Colony at Meerut is unauthorisedly constructed on public drain at Gata no. 346, village Murlipur Gulab, Meerut and Gata no. 47, 48 and 49, vill Shobhapur, Meerut.
2. That by order dated 29.01.2025 the Hon'ble Tribunal issued notice to the answering Respondents, R.S. Developers and its directors. Thereafter, on 09.05.2025 this Tribunal allowed time to the answering Respondents to file their reply.
3. That at the outset the answering Respondent raise a preliminary objection as to the maintainability of the present Original Application. It is submitted that no substantial question of law relating to environment in respect of the enactments provided in schedule 1 of the NGT is made out in the present case. The issue before the Hon'ble Tribunal is limited to the extent of encroachment

of the public drain and irrigation canal which does not falls with the jurisdiction of the Tribunal as per section 14 of the NGT Act. On the aforesaid grounds the present Application is liable to be dismissed.

4. That the reports of the State Respondents clearly shows that there is no encroachment over the land in question by the answering Respondent. Moreover, there is nothing on record suggesting that any pollution to the water bodies is caused by the causeway. Hence, mere alleged encroachment over a public land does not entitles the Applicant to invoke jurisdiction of this tribunal. Hence, the present Original Application is not maintainable.
5. That on merits of the matter it is submitted that the answering Respondents is a developers engaged in plotting and sale of land after development of the infrastructure. The answering Respondent is developing Garden City Home at Khasra no. 126M, 335M, 338, 337M, 341M, 342M, 343, 344, 345, 347, and 348M in village Murlipur Gulab and Khasra no. 46M in village Shobhapur both in District Meerut. The said parcel of land is not public drain in the revenue records and are land purchased by the answering Respondents from the farmers.
6. That the answering Respondents is not developing Krishna World Colony but is a developers of Garden City Homes. It is pertinent to mention that the answering Respondents has obtained NOC from the Addl. District Magistrate, Meerut on 20.04.2023 and from the Nagar Nigam Meerut on 19.05.2023 in respect of the project which clearly

mentions the gata no. of the land in question wherein the gata no. 346, village Murlipur Gulab, Meerut and Gata no. 47, 48 and 49, vill Shobhapur, Meerut is clearly not a part of the answering Respondent's project. A true copy of the NOC from Addl. District Magistrate, Meerut dated 20.04.2023 is ANNEXURE R-1 and a true copy of the NOC obtained from Nagar Nigam Meerut dated 19.05.2023 is ANNEXURE R-2.

7. That the allegation made by the Applicant in the instant OA is without any basis being misconceived. The answering Respondent has not encroached on the land of the irrigation which is a water drain.
8. That it is pertinent to mention that there is presence of causeway (puliya) over the water drain which has been in existence since long back. The same has been in use of the villagers to cross from their farms to the road. The said causeway is not constructed by the answering Respondent.
9. That it is further necessary to submit that the said causeway does not affect the flow of the water in the stream. Moreover, the said water body remains dry majorly but as there is depression in the stream hence, the causeway has been used by the villagers.
10. That the answering Respondent has not made any construction of the causeway rather, the same was in existence since before. As the causeway was in existence the answering Respondent has merely used the same.

11. That prior to filing of the present Original Application because of a dispute between the answering Respondents with a local person attempt was made to get the causeway demolished. The answering Respondent has approached the Civil Court by filing a Civil Suit No. 643 of 2024 wherein the Ld. Civil Judge JD, Meerut has passed an order directing the parties to maintain status quo on 10.09.2024. A true copy of the order passed in the Civil Suit No. 643 of 2024 by Civil Judge, Junior Division Meerut dated 10.09.2024 is **ANNEXURE R-3.**
12. That it is also pertinent to mention at this stage that against the notices issued on 10.06.2024, 19.06.2024 and 04.07.2024 by the Assistant Engineer IVth, Meerut Division Ganga Canal, Meerut for demolition of the causeway on the public drain, the residents of the village went to the High Court by filing a Writ Petition No. 37092 of 2025 challenging the notices. A true copy of the case status of Writ C No. 37092 of 2025 filed before the High Court Judicature at Allahabad dated NIL is **ANNEXURE R-4.**
13. That by the order dated 29.10.2025 the High Court heard the counsel for the parties and passed an order against the Respondent from taking any coercive action in pursuance to the notices impugned therein. The High Court also directed the District Magistrate to constitute a high power committee consisting of officials of the Authority and Municipal Corporation. A true copy of the order passed by the High Court Judicature at Allahabad in Writ C No. 37092 of 2025 dated 29.10.2025 is **ANNEXURE R-5.**

14. That in light of the aforesaid facts the answering Respondent prays that the present original application deserves to be dismissed being without merits and not maintainable.

R S Developers (Resp. No. 8)
Suraj Yadav (Resp. No. 9)
Rajeev (Resp. No. 10)
Rajkiran (Resp. No. 11)

Through



(GAURAV AGARWAL)
Advocate, Supreme Court
GRV LEGAL

Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City,
Vaibhav Khand, Indirapuram,
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014
Mob.: 8802911392
Email. : gaurav@grvlegal.in

**BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF :

DUSHYANT ROHTA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. AND ANOTHER ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, RAJ KIRAN , aged about 46 years, S/o Shri Harprasad, R/o 334, Rohta Road, Anoopnagar, Fazalpur, Meerut, District Meerut, Uttar Pradesh – 250002, presently at New Delhi, do hereby state on solemn affirmation as under:

1. That I am a Partner of the answering Respondent No.11 in the present Original Application as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit. The deponent is also authorized to swear affidavit on behalf of Respondent No.8 to 10.
2. That I have gone through the accompanying Reply from para 1 to 14 and say that the contents thereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and I believe the same to be true.
3. That the Annexure R-1 to the reply are true copy of the documents.

Solemnly affirmed on this 02nd day of December, 2025 at New Delhi.



EMPOWERED TO ADMINISTER THE OATH
SECTION 139 OF CPC 1908
SECTION 297 OF CRPC 1973
DELHI HIGH COURT RULES 1967
PART-6, CHAPTER XVIII-227
EVIDENCE BY AFFIDAVIT BEFORE NOTAR
SUPREME COURT RULES, 2013
ORDER X-7

राजकिरान
DEPONENT

VERIFICATION


Verified at New Delhi on this 02nd day of December, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. **2 DEC 2025**

राजकिरान
DEPONENT

ATTESTED

Notary Public, Delhi
Govt. of India
Mob No.: 9654768409

Gauvan Agrawal
UPIC 303-12059
IDENTIFIED



कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ।

संख्या: 156 /एसटी ई/2022-23

दिनांक 20-04-2023

विषय: ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर पर आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

**जोनल अधिकारी, जोन-ए/बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।**

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या: 372/प्रवर्तन खण्ड जोन-बी/23 दिनांक 25-3-2023 का संदर्भ संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव व श्री राजीव अग्रवाल तथा मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना व तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर मेरठ में कुल रकबा 36436.76 वर्ग मीटर में तलपट मानचित्र के संबंध में प्रस्तुत मानचित्र में ग्राम समाज, सरकारी भूमि/सीलिंग भूमि होने अथवा न होने के संबंध में आपत्ति/अनापत्ति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा प्रस्तुत आख्या संख्या 297/एसटी दिनांक 14-4-2023 जिसके द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 46 रकबा 0.228है0, 891/1 रकबा 0.1260है0, 891/3 रकबा 0.063है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव, निवास ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द गुप्ता, निवासी 214 मधुवन कालोनी मेरठ का नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है तथा ग्राम मुरलीपुर गुलाब तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या-126 रकबा 0.9290है0 में से 0.4645है0, 335 रकबा 0.2530है0, 344 रकबा 0.3980है0, 341 रकबा 0.3730है0, 343 रकबा 0.2780है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द गुप्ता का नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। खसरा संख्या-345 रकबा 0.2150है0 में से 0.0941है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द गुप्ता का नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व रकबा 0.0267है0 पर परसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा गढ रोड मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव का नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के खसरा संख्या-126 रकबा 0.9290है0 में से 0.4645है0 तथा खसरा संख्या-336 रकबा 0.6830है0, 337 रकबा 0.3980है0, 342 रकबा 0.1140है0, 347 रकबा 0.3840है0, 348 रकबा 0.6290है0 पर मैसर्स परसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव का नाम संक्रमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। उक्त दोनों संस्थाओं में वर्तमान में श्री विजयपाल यादव के स्थान पर श्री सूरज यादव व राजीव अग्रवाल डायरेक्टर है जिसका साक्ष्य संलग्न है। खसरा संख्या 342 रकबा 0.114है0 ग्राम मुरलीपुर गुलाब सी0एच0-41 45 में बंजर दर्ज है जिसका आवंटन कुतबी पुत्र मखमूल ग्रामवासी को कृषि आवंटन स्वीकृति दिनांक 21-5-1976 के अन्तर्गत हुआ था जिसकी सत्यापित नकल खतौनी संलग्न है। उपरोक्तानुसार उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है0 में से 36436.76है0 पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुँच मार्ग व अन्य योजना हेतु प्रस्तावित है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब में प्रस्तावित उक्त भूमि के मध्य खसरा संख्या-127 रकबा 0.1390है0 (आंशिक) व खसरा संख्या-346 रकबा 0.1260है0 "नाला" राजकीय सम्पत्ति में आ रहे हैं, जो स्थल पर रिक्त है और आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि भविष्य में भी रिक्त रखेंगे और कभी व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेंगे। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजमार्ग/प्राधिकरण हेतु अधिग्रहित नहीं है और न ही भूमि नगर निगम/मेरठ विकास प्राधिकरण/आवास विकास से आच्छादित है। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 अथवा 116/117 की कोई

+

सीलिंग भूमि अथवा निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा शमशान/कब्रिस्तान तथा नाली/चकरोड/रजवाहा इत्यादि धारा-132 की भूमि नहीं है। ग्राम शोभापुर के खसरा नं० 891 चार भागों में बटा है। चारों भागों पर आवेदकगण के नाम खतौनी में दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के वांछित खसरा नम्बर खतौनी में एकल दर्ज है। इस प्रकार ग्राम शोभापुर एवं ग्राम मुरलीपुर गुलाब के उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है० में से 36436.76है० पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी मेरठ की उक्त आख्या दिनांक 14-04-2023 के आधार पर यदि फर्म द्वारा "नाला" राजकीय सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण अथवा छेड़छाड़ की जाती है तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उप जिलाधिकारी मेरठ की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(अनुराग कुमार)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मेरठ।

//TRUE COPY//

कार्यालय नगर निगम मेरठ।

पत्रांक: 2009 / सम्पत्ति / न0नि0मे0 / 2023

दिनांक: 19 मई, 2023

सेवा में,

जोनल अधिकारी जोन-ए
मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।

विषय:- ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर पर आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 372/प्रवर्तन खण्ड जोन-बी/23 दिनांक 25.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव व श्री राजीव अग्रवाल तथा मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना व तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर मेरठ में कुल रकबा 36436.76 वर्ग मीटर में तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत मानचित्र में ग्राम समाज, सरकारी भूमि/सीलिंग भूमि होने अथवा न होने के सम्बन्ध में आपत्ति/अनापत्ति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में विभागीय जांच करायी गयी तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ के पत्र संख्या 156/एसटी ई/2022-23 दिनांक 20.04.2023 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 46 रकबा 0.228है0, 891/1 रकबा 0.1260है0, 891/3 रकबा 0.063है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव, निवास ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द्र गुप्ता, निवासी 214 मधुवन कालोनी मेरठ का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है तथा ग्राम मुरलीपुर गुलाब तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या-126 रकबा 0.290है0 में से 0.4645है0, 335 रकबा 0.2530है0, 344 रकबा 0.3980है0, 341 रकबा 0.3730है0, 343 रकबा 0.2780है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द्र गुप्ता का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। खसरा संख्या-345 रकबा 0.2150है0 में से 0.0941है0 पर मैसर्स आर0एस डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द्र गुप्ता का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व रकबा 0.0267है0 पर परसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा गढ़ रोड़ मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के खसरा संख्या-126 रकबा 0.9290है0 में से 0.4645है0 तथा खसरा संख्या-336 रकबा 0.6830है0, 337 रकबा 0.3980है0, 342 रकबा 0.1140है0, 347 रकबा 0.3840है0, 348 रकबा 0.6290है0 पर मैसर्स परसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। खसरा संख्या 342 रकबा 0.114है0 ग्राम मुरलीपुर गुलाब सी0एच0-41, 45 में बंजर दर्ज है। जिसका आवंटन कुलबी पुत्र मखमूल ग्रामवासी को कृषि आवंटन स्वीकृति दिनांक 21.05.1976 के अन्तर्गत हुआ था। उपरोक्तानुसार उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है0 में से 36436.76है0 पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु प्रस्तावित है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब में प्रस्तावित उक्त भूमि के मध्य खसरा संख्या-127 रकबा 0.1390है0 (आंशिक) व खसरा संख्या-346 रकबा 0.1260है0 "नाला" राजकीय सम्पत्ति में आ रहे हैं, जो स्थल पर रिक्त है और आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि भविष्य में भी रिक्त रखेंगे और कभी व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेंगे। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजमार्ग/प्राधिकरण हेतु अधिग्रहित नहीं है और न ही भूमि नगर निगम/मेरठ विकास प्राधिकरण/आवास विकास से आच्छादित है। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 अथवा 116/117 की कोई सीलिंग भूमि अथवा निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा शमशान/कब्रिस्तान तथा नाली/चकरोड़/रजवाहा इत्यादि धारा-132 की भूमि नहीं है। ग्राम शोभापुर के खसरा नं0 891 चार भागों में बटा है। चारों भागों पर आवेदकगण के नाम खतौनी में दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के वांछित खसरा नम्बर खतौनी में एकल दर्ज है। इस प्रकार ग्राम शोभापुर एवं ग्राम मुरलीपुर गुलाब के उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है0 में से 36436.76है0 पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रेषित की जा सकती है कि भू-स्वामी द्वारा पानी निकासी, सीवरेंज, पार्किंग आदि के व्यवस्था भू-स्वामी द्वारा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर की जायेगी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति/खसरा संख्या 127 व 346 नाला राजकीय सम्पत्ति एवं सड़क/नाला पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा अन्यथा जारी अनापत्ति निरस्त समझी जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपि:- 1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव व श्री राजीव अग्रवाल तथा मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ

मूलवाद सं० - 643/2024

श्री मैसर्स आर० ए० डबलपर्स बनाम शगुन भड़ाना

CNR NO.- UPME06-0009722024

दिनांक - 10.09.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

प्रार्थना पत्र 8 ग 2 वादीगण की ओर से अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र 8 ग 2 पर आज ही सुनवाई की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

(10/9/2024)

सिविल जज (जू० डि०) नगर,
मेरठ।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण के पक्ष अस्थायी निषेधात्मक आज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की पारित की जाये कि प्रतिवादी स्वयं अथवा अपने सहयोगियों आदि के माध्यम से प्रश्रगत पुलिया जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के अन्त में शैड्यूल-ब में दिया गया है तथा वादपत्र के साथ संलग्नक-अ नक्शे में अक्षर "ए, बी, सी, डी" से दर्शित किया गया है, को ध्वस्त करके, उसके किसी भाग को क्षतिग्रस्त करके अथवा अन्य किसी प्रकार से उक्त पुलिया पर से वादी फर्म के आवागमन के प्रयोग व उपयोग में कोई अवरोध उत्पन्न न करे। अतः वादीगण द्वारा उक्त संपत्ति के बाबत अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने का प्रार्थना की गई है।

वादीगण ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र 7 ग से पार्टनरशिप डीड दिनांकित 16.01.2023, शिजरा, मेरठ विकास प्राधिकरण पत्र दिनांक 15.05.2024, मानचित्र, अधिशासी अभियन्ता पत्र दिनांकित 25.05.2023, छायाप्रति चैक, एन० एच० ए० आई० प्रपत व सूची 11 ग से कागज सं० 12 ग ता 26 ग उद्धरण खतौनी, पत्रावली पर दाखिल किये हैं।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम दृष्टया वादीगण का यह कथन है कि प्रश्रगत पुलिया वादी फर्म की आवासीय कालोनी में आने-जाने के लिए एकमात्र पुलिया है, जो पुरानी व सार्वजनिक है। वादीगण का यह कथन है कि वे तथा अन्य कई व्यक्ति उक्त प्रश्रगत पुलिया का प्रयोग करके ही अपने खेतों व इत्यादि में आवागमन करते हैं, जिसपर सभी लोगों का एक समान अधिकार है। यह गौरतलब है कि वादीगण द्वारा दाखिल खतौनी कागज सं० 26 ग/2 में खसरा सं० 888 में विवादित स्थल पटरी (मिलकीयत सरकार) के रूप में दर्ज है। वादीगण का यह भी कथन है

कि प्रतिवादी तथा वादी सं० 02 के मध्य आपस में रंजिश होने के कारण वे विवादित पुलिया को तोड़ना चाहते हैं, जिस के संदर्भ में दिनांक 08.09.2024 को करीब 7.30 बजे प्रतिवादी विवादित पुलिया पर आए व उसे तोड़ने का प्रयास किया व यह धमकी देकर गए कि मौका मिलते ही जे० सी० बी० मशीन से उस पुलिया को ध्वस्त कर देंगे। वादीगण का यह भी कथन है कि यदि प्रतिवादी द्वारा जोर-जबरदस्ती व बल के आधार पर विवादित पुलिया को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उनके आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद की उद्देश्य विफल होने से रोकने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वे अग्रिम नियत तिथि तक वादपत्र के शेड्यूल ब में वर्णित नक्शे में बिंदु ए, बी, सी, डी स्थित सिंचाई विभाग रजवाहा ग्राम शोभापुर परगना तहसील व जिला मेरठ (चौड़ाई 20 फिट व लंबाई 40 फिट) के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे।

वादीगण आदेश 39 नियम 3 (क) सी० पी० सी० के अनुपालन में अविलंब पैरवी करे। पैरवी न करने पर यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति 6 ग 2 दिनांक 23.09.2024 को पेश हो।

(हरिहर गुप्ता)

सिविल जज (जू० डि०) नगर,
मेरठ।

जे० ओ० कोड-यू० पी० 03204

High Court of Judicature at Allahabad



PENDING

Case Status - WRIT - C (WRIC)-[37092/2025]

[Diary/Token No.: 232199102025]

Generated on : 02-12-2025 at 04:08:03 pm

Filing No.	CIVIL12/235873/2025	Filing Date : 16-10-2025
CNR	UPHC055695922025	Date of Registration : 24-10-2025

Case Status

First Hearing Date	29th October 2025
Next Hearing Date	
Coram	
Bench Type	Division Bench
Causelist Type	Fresh List
State	UTTARPRADESH
District	MEERUT

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	Respondent
1. PAWAN KUMAR SABIKHI AND 8 OTHERS 2. MAYANK RASTOGI 3. APAR AGARWAL 4. RISHAB AGARWAL 5. SAROJBALA 6. TANMAY SINGHAL 7. MADHU TUTEJA 8. PIYUSH KUMAR 9. JYOTI RASTOGI Advocate - GAURANG DWIVEDI(A/G0355/2021)	1. STATE OF UTTAR PRADESH AND 6 OTHERS 2. STATE OF UTTAR PRADESH 3. EXECUTIVE ENGINEER, MEERUT DIVISION GANGA CANAL 4. ASSISTANT ENGINEER, VITH, MEERUT DIVISION GANGA CANAL 5. MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT 6. M/S PRASANDI BIOTECH PARK PVT. LTD. 7. M/S S.R.R. BUILDCON CHANDRA ESTATE, ROHTA ROAD Advocate - C.S.C.(CSC/2012),SHIV PRAKASH GUPTA(A/S0136/2020)

Category Details

Category	DEVELOPMENT AUTHORITY (340700)
Sub Category	Miscellaneous (340790)

IA Details

Application(s) Number	Party	Date of Filing	Next / Disposal Date	IA Status
IA/1/2025 Classification :Stay Application	PAWAN KUMAR SABIKHI AND 8 OTHERS Vs STATE OF UTTAR PRADESH AND 6 OTHERS Applied by (Advocate) :GAURANG DWIVEDI	24-10-2025		Pending

Listing History

Cause List Type	Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice In chamber of Registrar(s)/Jt. Registrar(s)	Hon'ble Court/Serial No.	Listing Date	Short Order
Fresh List	HON'BLE JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI HON'BLE JUSTICE KUNAL RAVI SINGH	Ct.:29 , Sl.:66	27-11-2025	
Fresh List	HON'BLE JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI HON'BLE JUSTICE KUNAL RAVI SINGH	Ct.:29 , Sl.:46	29-10-2025	Date Fixed

Order/Judgement

#	Date	Order/Judgement	Combined Order/Judgment Sheet
1	29-10-2025	view	view

Disclaimer: Status report is based on data available on CCMS servers.

//TRUE COPY//

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****WRIT - C No. - 37092 of 2025**

Pawan Kumar Sabikhi And 8 Others

.....Petitioner(s)

Versus

State Of Uttar Pradesh And 6 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Gaurang Dwivedi
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Shiv Prakash Gupta

Court No. - 29**HON'BLE MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.****HON'BLE KUNAL RAVI SINGH, J.**

1. Heard Shri Shashi Nandan, learned Senior Counsel assisted by Shri Gaurang Dwivedi, learned counsel for the petitioners; Shri Devesh Vikram, learned Addl. Chief Standing Counsel for State respondents and Shri Shiv Prakash Gupta, learned counsel for Meerut Development Authority (in short "Authority").

2. The instant writ petition has been preferred for quashing the impugned notices dated 10.06.2024, 19.06.2024 and 4.7.2024 issued by the Asstt. Engineer IVth, Meerut Division Ganga Canal, Meerut and his subordinates; for a direction to restrain the respondents from demolishing the puliya/ culvert and for a further direction to respondents to maintain status quo in regard to culvert during pendency of the writ petition.

3. Shri Shashi Nandan, learned Senior Counsel appearing for the petitioners submits that the impugned notices are per se unsustainable under the present facts and circumstances as the lay out plan had been duly sanctioned by the Authority under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 (in short "Act, 1973"). The culverts were raised over the drainage only for the purpose of egress and ingress. The impugned notices have been issued without making any survey on the spot in question. He submits that in case no reprieve is accorded, the egress and ingress of the colony would also hamper.

4. Learned counsel for the Authority has placed details instructions, which are taken on record. On the basis of instructions, he states that the culvert has

not been made on the basis of approved lay out/ map and as such the same is liable to be demolished. He has also relied upon para 21 of the instructions, which reads as under:-

"21. प्रश्नगत कॉलोनी का पहुँच मार्ग मेरठ बाईपास रोड से ना होकर प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत कॉलोनी वेदा सिटी की 18.00 मीटर चौड़े मार्ग से है |"

5. Learned counsel for the Authority states that the impugned notices have been issued strictly in accordance with law and there is no infirmity in them.

6. Considering the factual situation as well as the relief, as has been prayed for, we direct the District Magistrate, Meerut to constitute a High Power Committee consisting of officials of Authority, Municipality as well as the Revenue Officials, who shall make spot inspection and submit a report in this regard to this Court by the next date through learned Addl. Chief Standing Counsel. While making survey, the petitioners as well as respondent nos.6 and 7 shall also be given proper audience.

7. Put up this matter as fresh on 27.11.2025.

8. Till the next date of listing, the respondents are restrained to take any coercive measures against the petitioners pursuant to impugned notices.

(Kunal Ravi Singh,J.) (Mahesh Chandra Tripathi,J.)

October 29, 2025

SP/

//TRUE COPY//